न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/92

1. श्रीमती धन्नी बाई पत्नी कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम देहित ।
2. श्रीमती कान्ती बाई पत्नी श्रीराम जाति मीणा निवासी ग्राम देहित ।
3. अनिता नाबालिग जरिये संरक्षक माता कान्ती बाई पत्नी श्रीराम जाति मीणा निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. शंकर बालिग श्रीराम जाति मीणा निवीस ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. लेकेश बालिग श्रीराम जाति मीणा निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी।
6. रानी नाबालिग जरिये संरक्षक माता कान्ती बाई पत्नी श्रीराम जाति मीणा निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. नाथू लाल आत्मज देवा कौम बलाई निवासी ग्राम कुवारती तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
2. श्रीमती भूली बाई पत्नी स्व0 देवा जाति बलाई निवासी ग्राम कुवारती तहसील बून्दी जिला बून्दी (मृतक) ।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अरविन्द शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर

कथन किया किया कि ग्राम जावटीखुर्द तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 10 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि को पूर्व में झरमलाजी ताक के नाम से जाना जाता था । संवत् 1968 में खातेदार देवा पुत्र उद्दा जाति मेघवाल था । देवा ने संवत् 1962 मेंअर्थात् सन् 1912 में उक्त भूमि का बेचान 436/–रूपये के बदले वादीगण के पूर्वज श्री छोटू जी मीणा पुत्र अमरा को कर दिया । उक्त भूमि पिछले 100 वर्षों से वादीगण के आधिपत्य व अधिकार में चली आ रही है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व की तिथि के समय से निरन्त रूप से काबिज काश्त है वास्तविक रूप से उनके अधिकार व खातेदारी की भूमि है लेकिन पूर्व में इस बेचान के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में देवा के स्थान पर छोटू या उनके किसी वंशज का नाम दर्ज नहीं हो सका और वर्तमान जमाबन्दी तक देवा व उसके बाद उसके पुत्र नाथूलाल व भूली बेवा देवा का नाम ही खातेदार के रूप में चला आ रहा है । उस समय जब बेचान लिखा गया था तत्समय बेचान के पंजीयन की अनिवार्यता नहीं थी । इस कारण दस्तावेज को सादा कागज पर लिखा गया था किन्तु बाद में वर्ष 1991 में उक्त दस्तावेज को श्रीमान् स्टाम्प कलक्टर बून्दी के समक्ष प्रस्तुत कियाय था एंव स्टाम्प की कमी की पूर्ति के लिये आवश्यक शुल्क जमा करवाकर दस्तावेज को ड्यूटी स्टाम्प करवा लिया गया किन्तु वादीगण के पिता अनपढ व्यक्ति होने एवं ग्रामीण परिवेश के होने से कारण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अपना नाम संशोधन नहीं करवा पाये । वादीगण के पूर्वज ही उक्त भूम के लगान पिलाई जमा करवाते चले आ रहे हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वर्तमान जमाबन्दी में नाथूलाल वल्द देवा व मु0 भूली बेवा देवा कौम बलाई का नाम विलोपित करके वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें । प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह केवल मात्र जमाबन्दी में नाम अंकित होने के आधार पर भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान व किसी भी प्रकार अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं करे। उक्त कार्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2017 को पेश कर कथन किया कि यह वाद प्रतिवादिनी भूली बाई बेवा देवा जिनका स्वर्गवास 12 वर्ष पूर्व हो चुका है के विरूद्ध उसे पक्षकार बनाकर दावा पेश किया है जो कानूनन अवैध है । वादीगण का वाद वादीगण द्वारा उनके ज्ञान में प्रतिवादिनी संख्या 02 का स्वर्गवास लम्बे समय पूर्व होते हुए भी जानबूझकर यह दावा पेश किया जो खारिज होने योग्य है । अतः वादीगण का वाद मृतक को पक्षकार बनाकर मृतक प्रतिवादी कम 2 जो वर्षों पहले स्वर्ग सिधार गई है इसलिए अबेट होने के कारण खारिज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.02.2019 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 नाथू लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद अबेट होने के आधार पर खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि–विरूद्ध निर्णय पारित किया है । मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध वाद

प्रस्तुत होने के कारण वाद अबेट माना जावे लेकिन आदेश 22 सीपीसी के प्रावधान में स्पष्ट रूप से अंकित है कि यदि बनाये गये पक्षकारों में से किसी के भी विरूद्ध वाद कारण शेष रहता है तो दावा अबेट नहीं होगा । वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी कम 1 नाथू लाल जो कि वर्तमान जमाबन्दी में सम्पूर्ण भूमि का खातेदार है के विरूद्ध वादकारण निहित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण वाद को अबेट होना मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि– विरूद्ध रूप से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सम्बन्धी टिप्पणी की है जबकि उक्त भूमि का विकय पत्र सन् 1956 से पूर्व का है । अतः धारा 42 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था । वादग्रस्त आराजी पूर्व में सवत् 1968 में खातेदार देवा पुत्र उद्दा जाति मेघवाल के नाम दर्ज थी । देवा के द्वारा संवत् 1962 में 436/– रूपये में आराजी का बेचान वादीगण के पूर्वज छोटू को कर दिया था । सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा संभला दिया था । 100 वर्षों से अधिक समय से आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है । राजस्व रिकॉर्ड में नाम देवा और उनके वंशजों का चला आ रहा है । वादीगण इस आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से 06 साल तक कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया । सन् 2018 में एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि श्रीमती भूली बेवा देवा को पक्षकार बनाया गया है जबकि दावा दायरी से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, अतः दावे को अबेट माना जाकर खारिज किया जावे । इस प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया । वादकारण नाथू लाल के विरूद्ध विद्यमान है फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है । धारा 42 बी के उल्लंघन बाबत् न तो प्रार्थना पत्र था न उस पर बहस सुनी गयी । किसी एक पक्षकार के विरूद्ध यदि वादकारण शेष रहता है तो दावा अबेट नहीं होता है । विकय सन् 1956 से पूर्व का है । अतः धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि– विरूद्ध दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1993 (एससी) पेज 2324, आरआरटी 2012 (2) पेज 1149, एआईआर 1958 पेज 789 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादीगण अपीलान्ट के द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था । दावे में प्रतिवादी कम 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी कम 2 भूलीबाई का स्वर्गवास दावा दायरी से पूर्व हो चुकी है । अतः दावा अबेट किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए दावा वादी खारिज किया है और साथ ही प्रकरण में धारा 42 बी

के उल्लंघन का आधार भी अंकित किया है । अपीलान्टगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं ।

10. पत्रावली पर नकल जमाबन्दी पेश की गई हैं उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज है जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । अपीलान्ट का यह कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व ही उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्रय किया गया था । इस कारण धारा 42 बी का उल्लंघन नहीं हुआ है । जहॉ तक धारा 42 बी के उल्लंघन का प्रश्न है यह अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर निर्णित किया जा सकता है । रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इस बाबत् कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की । प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्ति के खिलाफ दावा पेश होने से अबेट किये जाने की प्रार्थना की है और प्रतिवादीगण में से एक प्रतिवादी की मृत्यु यदि दावा दायरी के पूर्व हो चुकी है और दूसरे प्रतिवादी के विरूद्ध वादकारण मौजूद है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण दावे को अबेट नहीं माना जा सकता क्योंकि दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ वादकारण मौजूद है । एआईआर 1993 (एससी) पेज 2324, आरआरटी 2012 (2) पेज 1149, एआईआर 1958 पेज 789 यहॉ चस्पा होती हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा